Website-uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगतसिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांकः– 417 / 859(6)–दरगाह पीरान कलियर / उ0व0बोर्ड / 2020–21 दिनांक– 04 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2020

आदेश

कार्यालय आदेश संख्या–1032 / उ0व0बोर्ड / 2019–20 दिनांक 20 मार्च 2020 के द्वारा कोविड़–19 के कारण आम जनता की सुरक्षा हेतु दरगाह साबिर पाक, दरगाह किलकिली शाह साहब, दरगाह ईमाम साहब पूर्ण रूप से बन्द कर दी गई थी।

वर्तमान में उपरोक्त आदेश को अतिक्रमित करते हुए उक्त तीनों दरगाहों को निम्न निर्देशों के साथ जायरिनों के लिए खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. उक्त तीन दरगाह में जायरीन 02 गज़ की शारीरिक दूरी रखते हुए मज़ार शरीफ में दाखिल होगें।
2. मज़ार शरीफ के अन्दरूनी हिस्से में एक समय में 06 व्यक्ति से अधिक नहीं रहेगें।
3. दरगाह के मुख्य द्वारों पर सेनिटाईज़र एवं थर्मल स्कैनिंग का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य रूप से किया जाए।
4. दरगाह के अहाते में अनावश्यक लोग ज़ियारत के अलावा एकत्रित न हों।
5. वक़्फ दरगाह साबिर पाक में एक गेट जायरीनों को अन्दर जाने एवं एक गेट बाहर जाने हेतु सुरक्षित रखा जाए।
6. मजार शरीफ में जायरीनों को किसी भी प्रकार का सामान अपने साथ लाने की अनुमति नहीं होगी।
7. यह सुनिश्चित किया जाए कि ज़ायरीन एक क़तार में मज़ार शरीफ में दाखिल हों।
8. किसी भी ज़ायरीन को मज़ार शरीफ में किसी भी दशा में ठहरने न दिया जाए, केवल चलते हुए ज़ियारत कराई जाए और ज़ियारत के बाद दरगाह के बाहर रहेगें।
9. मज़ार शरीफ को सुबह, अन्य निर्धारित समय में खोलने एवं मामूर करते हुए केवल उन दरगाह कार्मिकों द्वारा की जाए जिनकी ड्यूटी लिखित रूप में दरगाह कार्यालय द्वारा निर्धारित की जाए, किसी भी दशा में अन्य बाहरी या विशेष व्यक्ति की उपस्थित नहीं की जाए ।
10. बिना मास्क पहने हुए किसी भी ज़ायरीन को दरगाह में प्रवेश की अनुमति न दी जाए।
11. मज़ार शरीफ से प्राप्त समस्त प्रसाद / अशया प्रतिदिन रजिस्टर में अंकित कर दरगाह स्टोर में सुरक्षित रखा जाए और उसका विवरण दरगाह के व्हॉटसअप ग्रुप पर भी शेयर किया जाए।
12. दरगाह मे लगे हुए कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए अलग से दरगाह कार्मिकों की डयूटी तीन शिफ्ट में लगाई जाए, जो कि प्रत्येक गलत गतिविधियों को रजिस्टर में अंकित करेगा और दरगाह प्रबन्धक को के सम्मुख प्रस्तुत की जाए।
13. एक एल0 सी0 डी0 स्क्रीन दरगाह के मुख्य द्वार पर आम जनता के लिए लगाई जाए, यदि किसी भी प्रकार की शिकायत मिले और वास्तविक पाई गई लेकिन उसकी सूचना रजिस्टर में अंकित नहीं हुई सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्व कार्यवाही की जाए।
14. दरगाह में कार्य करने वालों की प्रत्येक दिन डयूटी बदली जाए।
15. ज़ायरीनों की कतार लगाने के लिए पी0 आर0 डी0 जवानों को तैनात किया जाए।
16. मज़ार शरीफ को प्रतिदिन दिन में तीन बार धुलाई की जाए।
17. ज़ायरीन मज़ार में प्रवेश करते हुए किसी भी जगह को अनावश्यक रूप न छुएं।
18. ज़ायरीन यदि वुजू करना चाहते है तो वह मजार शरीफ के बाहर बने वुजूखाने में करें अन्दर अहाता में वुजू न की जाए। बाहर के वुजू खाने सुचारू रूप से संचालित किये जाऐ।

क्रमशः

04/08/20

19. मजार शरीफ से किसी भी जायरीन को तबर्रूक/प्रसाद न दिया जाए। यदि किसी को प्रसाद चाहिए तो वह दरगाह कार्यालय से प्राप्त कर सकता है।
20. किसी के भी द्वारा यदि निर्देशों का पालन नही किया जाता या किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो तत्काल उसकी लिखित सूचना पुलिस थाना में दर्ज करायी जाए।
21. दरगाह कार्मिकों की डयूटी चार्ट निर्धारित समय सहित दरगाह कार्यालय में सुरक्षित रखा जाए।
22. दरगाह क्षेत्र में संचालित टॉयलेट ब्लॉक साफ सुथरे और प्रत्येक दिन सैनिटाईज्ड किये जाऐ जिसके लिए सम्बन्धित ठेकेदार को अलग से निर्देशित किया जाए।
23. मजार शरीफ के बाहरी क्षेत्र में प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में सैनिटाईजर का उपयोग किया जाऐ।
24. दरगाह क्षेत्र के प्रत्येक दुकानदार/होटल/अन्य व्यवसायिक केन्द्र के स्वामी को निर्देशित किया जाए कि वह अपनी–2 दुकानों के पास 02 गज़ की शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखें और सैनिटाईजर का उचित प्रयोग करें।

प्रबन्धक दरगाह को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों को सम्पूर्ण रूप से पालन करने हेतु समस्त कार्मिकों को लिखित रूप में अवगत करा दें यदि किसी भी कार्मिक के द्वारा अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरती जाती है तो उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही प्रस्तुत करें।

04/08/20
(डॉ0 अहमद इकबाल)
आई0ए0एस0
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या 417 तद्दिनांक
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. सचिव, राजस्व/ वक़्फ आयुक्त, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग देहरादून।
4. ज़िलाधिकारी/प्रशासक वक़्फ दरगाह साबिर पाक।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
6. संयुक्त मजिस्ट्रेट, रूडकी।
7. प्रबन्धक वक़्फ दरगाह साबिर पाक, को उक्त निर्देशों का पालन कराने हेतु।
8. सहायक प्रोग्रामर को वक्फ बोर्ड की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाईल।

04/08/20
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।